<u>*@SHAJAHANPURPOL*</u>

<u>*प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 30/05/2021*</u>

<u>*थाना जलालाबाद पुलिस को ने किया डबल मर्डर का खुलासा*</u>

<u>*ग्राम चक्रचंद्रसेन में हुई थी मॉ बेटे की हत्या, अभियुक्त अरविन्द गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद ।*</u>

दिनाकं 09/10.05.21 की रात्रि को जलालाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम चकचन्द्रसेन के श्रीमती **शकुन्तला देवी वेवा विजय कुमार सिहं व बेटे महेन्द्र विक्रम सिहं पुत्र विजय कुमार सिहं नि0 ग्राम चकचन्द्रसेन थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी थी ।** इस सम्बन्ध मे थाना जलालाबाद पर **मु0अ0स0 325/21 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया तथा मौके प्राप्त साक्ष्यो कां संकलन कराया गया एवं श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व मे पुलिस टीम गठित कर घटना मे संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

इसी क्रम मे विवेचक द्वारा अपने संकलित साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया तथा गहनता से विवेचना करने पर 02 अभि0 1-अरविन्द उर्फ रिन्कू व 2-आजम प्रकाश मे आये । पुलिस टीम द्वारा प्रकाश मे आये अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अपने मुखबिरों को अलर्ट किया तथा सुरागरसी व पतारसी की जाने लगी। इसी क्रम मे थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज **दिनांक 30/5/2021** की अपराहन **अभियुक्त अऱविन्द उर्फ रिंन्कू पुत्र रामवीर नि0 ग्राम हारकठेठा थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर को टापर मंदिर के पास से गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्त अरविन्द उर्फरिंकू की निशानदेही पर हत्या मे प्रयुक्त **आलाकत्ल गंडासा खूनआलूदा बरामद** किया गया। इस सम्बन्ध थाना पर आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। फरार अभियुक्त आजम की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सघन प्रयास किया जा रहा है।

<u>*पूछताछ का विवरणः-*</u>

अभियुक्त से गहन पूछताछ मे यह तथ्य प्रकाश मे आये है कि दिनांक 09/10.05.21 की रात्रि को अभियुक्त 1-अरविन्द उर्फ रिंकू व 2-आजम दोनों मृतका के घर मे लूट के उद्देश्य से घुसे थे परन्तु घरवालों के जाग होने पर पहचान से बचने के लिये दोनों ने मिलकर धारदार गंडासा से वार कर उनकी हत्या कर दी तथा दोनों डर की वजह से सोने चांदी आदि सामान नही चुरा पाये थे।

अभियुक्त का विवरणः-

1. अऱविन्द उर्फ रिंन्कू पुत्र रामवीर नि0 ग्राम हारकठेठा थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

फरार अभियुक्त—

1. आजम पुत्र आशिक अली नि0 ग्राम हारकठेठा थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरणः—

1-आलाकत्ल गंडासा खूनआलूदा।

अपराधिक इतिहास

आजम पुत्र आशिक अली नि0 खण्डहर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर			
क्रस0	**मु0अ0स0**	**धारा**	**थाना**
1	695/16	392 IPC	जलालाबाद
2	950/16	392 IPC	जलालाबाद
3	1438/16	307/34/402 IPC	जलालाबाद
4	1439/16	3/25 आयुध अधिनियम	जलालाबाद
5	564/15	3 यू0पी0 गुण्डा	जलालाबाद
6	395/14	5 विस्फोट अधि0	जलालाबाद
7	382/11	394 IPC	जलालाबाद
8	1247/13	3/25 आयुध अधि0	जलालाबाद
9	127/12	3/25 आयुध अधि0	जलालाबाद
10	124/12	307 IPC	जलालाबाद
11	84/17	2/3 गैगस्टर एक्ट	जलालाबाद
12	694/16	392 IPC	कलान
अरविंद उर्फ रिंकू पुत्र रामवीर नि0 खण्डहर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर			
क्रस0	**मु0अ0स0**	**धारा**	**थाना**
1	695/16	392 IPC	जलालाबाद
2	950/16	392 IPC	जलालाबाद
3	1438/16	307/34/402 IPC	जलालाबाद
4	1439/16	3/25 आयुध अधिनियम	जलालाबाद
5	84/17	2/3 गैगस्टर एक्ट	जलालाबाद
6	1739/17	392 IPC	जलालाबाद
7	45/18	307 IPC	जलालाबाद
8	46/18	3/25 आयुध अधिनियम	जलालाबाद

पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जसबीर सिहं थाना जलालाबाद शाहजहांपुर।
2. व0उ0नि0 श्री राजवीर सिहं
3. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
4. है0का0 260 रनवीर सिहं
5. का0 1963 लोकेन्द्र
6. का0 2202 आकाश
7. का0 2270 गौरव